

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संघिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—17 / 2023

पटना, दिनांक:—

सुश्री अनिशा, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति राज्य-कर सहायक आयुक्त, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 10.05.2023 से 20.06.2023 तक कुल 42 (बयालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित सुश्री अनिशा के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (69—42=27) (सताईस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / —

(ज्योति प्रकाश)

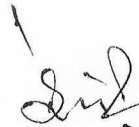
सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा०—24—17 / 2023 | 498 पटना, दिनांक:—25/04/25

प्रतिलिपि :— वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हाजीपुर, वैशाली/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर/राज्य-कर उपायुक्त —सह-नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच) हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24/04/2025

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।